

॥श्री॥

A.C. & SDO-gudamalani pag n-1

नाम्बर
अहकाम
के जारी हुए
सेवा में

श्रीमान सहायक कलक्टर एव एसडीओ महोदयजी,
गुडामालानी - बाडमेर

प्रार्थीगण :-

1. सरस्वती पुत्री आसुराम उम्र 12 वर्ष
2. मनीषा पुत्री आसुराम उम्र 8 वर्ष प्रार्थी सख्या 1 व 2
नाबालिक वलिये माता श्रीमति सुगणी पत्नी आसुराम
3. श्रीमति सुगणी देवी पत्नी आसुराम उम्र 35 वर्ष
जाति विश्नोई निवासी गोदारो की ढाणी गाधव कला
तहसील गुडामालानी हाल निवासी केरीया तहसील
चितलवाना जिला जालौर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. हेमराज पुत्र काछबाराम उम्र 60 वर्ष
2. आसुराम पुत्र हेमराज उम्र 40 वर्ष
3. मिसरा पुत्र काछबाराम उम्र 70 वर्ष
4. प्रेलाद पुत्र काछबाराम उम्र 64 वर्ष
5. कानाराम पुत्र काछबाराम उम्र 62 वर्ष
6. धीमाराम पुत्र काछबाराम उम्र 55 वर्ष जाति विश्नोई
निवासी गोदारो की ढाणी गाधव कला तहसील
गुडामालानी जिला बाडमेर
7. शाखा प्रबन्धक ,वा स यू वि बैंक लि बालोतरा शाखा
धोरीमना जिला बाडमेर
8. उप पंजियक एव तहसीलदार गुडामालानी.

(Handwritten signature)

सुगणी

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी .
अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रक्रिया
सहिता वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

महोदयजी

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र निम्न प्रकार से है :-

1. कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय मे एक वाद अन्तर्गत धारा 88,,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम पेश किया है जिसमे वर्णित तथ्यो एव दस्तावेजो से प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से सफलता मिलने की पुर्ण सम्भावना है
2. कि प्रार्थीगण के परदादा स्वर्गीय काछबाराम के नाम से वक्त सेटलमेन्ट मौजा गोदारो की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर मे खातेदारी खेत खसरा नम्बर 3 रकबा 26.08 बीधा किस्म बारानी दोयम , खसरा नम्बर 8 रकबा 1.03 बीधा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 13/1 रकबा 2.16 बीधा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 13./3 रकबा 3.11 वीधा किस्म बारानी दोयम , खसरा नम्बर 63 रकबा 0,01 वीधा किस्म गेर मुमकिन , खसरा नम्बर 64 रकबा 4.04 बीधा किस्म बारानी दोयम , खसरा नम्बर 66 रकबा 14.01 बीधाा किस्म बारानी सोयम , खसरा नम्बर 70 रकबा 6.05 बीधा किस्म बारानी सोयम , खसरा नम्बर 73 रकबा 11,10 बीधा किस्म बारानी सोयम व खसरा नम्बर 76 रकबा 36.10 बीधा किस्म बारानी सोयम के नाम से दर्ज हुए थे। काछबाराम के स्वर्गवास के बाद हिन्दु विधी से शाषित होने से धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के जरिये विधी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत काछबाराम के पाच पुत्र कमश मिसरा , पैलाद ,कानाराम, हेमराज, धीमाराम व केली बेवा काछबाराम के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई। केली के देहान्त होने पर जरिये नामान्तरण सख्या 244 नाम हटाया गया जिसके बाद वर्तमान मे हेमराज का 1/5 हिस्सा है।

(Signature)

(Signature)